जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 17 / डी– 319   दिनांकः– 3.5.17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की **133वीं बैठक** दिनांकः 12.04.2017 को अपराह्न 04.00 **बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		133:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 132वीं बैठक दिनांक 14.03.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 132वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 132वीं बैठक दिनांक 14.03.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 132 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर किया।
2.	8	133:2	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु जविप्रा की योजना वेस्टवे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) में ब्लॉक बी में स्थित एफ–6 सुविधा क्षेत्र में से क्षेत्रफल 933.92 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु जविप्रा की योजना वेस्टवे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल) में ब्लॉक बी में स्थित एफ–6 सुविधा क्षेत्र में से क्षेत्रफल 933.92 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को वेस्टवे हाईट्स योजना के ब्लॉक बी में स्थित एफ–6 सुविधा क्षेत्र में से 933.92 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	8	133:3	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना सीताराम विहार विस्तार में 1004.30 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना सीताराम विहार विस्तार में स्थित 1004.30 वर्गमीटर (1201.14 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को सीताराम विहार विस्तार में स्थित सुविधा क्षेत्र में से 1000 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	8	133:4	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम आनन्दा के एफ–1 सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 962.07 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम आनन्दा के एफ–1 सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 962.07 वर्गमीटर (1150.64 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को मंगलम आनन्दा के एफ–1 सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 962.07 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	8	133:5	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2,	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को

			गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना पर्ल रिंगेलिया में स्थित 2000 वर्गगज मंदिर व सामुदायिक हॉल की भूमि मे से 738.73 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना पर्ल रिंगेलिया मे स्थित 2000 वर्गगज मंदिर व सामुदायिक हॉल की भूमि में से 738.73 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि /3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण मे विभाग को पर्ल रिंगेलिया में स्थित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 2000 वर्गगज में से 738.73 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन से पूर्व नियमानुसार उक्त भूखण्ड के End Use परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।
6.	9	133:6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में निजी खातेदारी आवासीय योजना आर.एफ.सी. एनक्लेव में अंकित भूमि सुविधा क्षेत्र (हैल्थ/कम्यूनिटी सेंटर) क्षेत्रफल 1686.33 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति करने हेतु परियोजना में प्रस्तावित उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय के निर्माण हेतु निजी खातेदारी आवासीय योजना आर.एफ.सी. एनक्लेव में अंकित भूमि सुविधा क्षेत्र (हैल्थ/कम्यूनिटी सेंटर) क्षेत्रफल 1686.33 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को आर.एफ.सी. एनक्लेव में स्थित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1686.33 वर्गगज में से 700 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन से पूर्व नियमानुसार उक्त भूखण्ड के End Use परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।
7.	9	133:7	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में निलय कुंज ग्राम सिरोली के मानचित्र में अंकित आरक्षित भूमि क्षेत्रफल लगभग 3715.70 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति करने हेतु परियोजना में प्रस्तावित उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय के निर्माण हेतु निलय कुंज ग्राम सिरोली के मानचित्र में अंकित आरक्षित भूमि क्षेत्रफल लगभग 3715.70 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को निलय कुंज ग्राम सिरोली में स्थित आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 3715.70 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय हेतु योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे। विभाग अपने स्तर से विद्युत लाईन शिफ्ट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
8.	9	133:8	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में जविप्रा की आवासीय योजना चककरोल के मानचित्र में अंकित आरक्षित क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति करने हेतु परियोजना में प्रस्तावित उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय के निर्माण हेतु जविप्रा की आवासीय योजना चककरोल के मानचित्र में अंकित आरक्षित क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को चक करोल में स्थित आरक्षित

उपायुक्त ... जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				भूमि क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	9	133:9	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में रिजर्व बैंक हा.को.ओ.सो.लि. की योजना आशिष विहार के योजना मानचित्र में अंकित भूमि सुविधा क्षेत्रफल लगभग 4500 वर्गमीटर में से 3500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन 9 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति करने हेतु परियोजना में प्रस्तावित उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय के निर्माण हेतु रिजर्व बैंक हा.को.ओ.सो.लि. की योजना आशिष विहार के योजना मानचित्र में अंकित भूमि सुविधा क्षेत्रफल लगभग 4500 वर्गमीटर में से 3500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। विभाग को उक्त योजना में पूर्व में 1000 वर्गमीटर व योजना के अन्य सुविधा क्षेत्र में 1872.88 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया था। किन्तु विभाग द्वारा उक्त आवंटन निरस्त करने की मांग करते हुये एकजाई 3500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में किये गये आवंटन 1000 वर्गमीटर व 1872.88 वर्गमीटर को निरस्त करते हुये पूर्व आवंटित भूमि समर्पित करने पर ए.सी.ई., पीएचई, जविप्रा से चर्चा के उपरान्त आशिष विहार योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 4500 वर्गमीटर में से 3500 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय हेतु योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे।
10.	9	133:10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में निजी खातेदारी आवासीय योजना बॉस एनक्लेव के पार्क/सुविधा क्षेत्र अंकित भूमि 6813.12 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जगतपुरा, महल रोड, प्रताप नगर एवं निकटवर्ती नगर निगम क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति करने हेतु परियोजना में प्रस्तावित उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय के निर्माण हेतु निजी खातेदारी आवासीय योजना बॉस एनक्लेव के पार्क/सुविधा क्षेत्र अंकित भूमि 6813.12 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को बॉस एनक्लेव के पार्क/सुविधा क्षेत्र की भूमि 6813.12 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन से पूर्व नियमानुसार उक्त भूखण्ड की प्लानिंग की जाकर End Use निर्धारित करने की कार्यवाही की जावे।
11.	9	133:11	ग्राम पंचायत दांतली को ग्राम सिरोली में श्मशान के लिए भूमि आरक्षण करने बाबत।	एलपीसी की 127वीं बैठक दिनांक 20.09.16 में ग्राम पंचायत दांतली के ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2138 क्षेत्रफल 13.70 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त खसरा नं. 2138 पर जविप्रा की व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना की प्लानिंग की जा चुकी है। अतः उपायुक्त द्वारा जविप्रा की योजना सिरोली व्यावसायिक एव ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड संख्या जी–3 क्षेत्रफल 29987.00 वर्गमीटर में से भूखण्ड का उत्तरी हिस्से में से 2500 वर्गमीटर भूमि 30 मीटर सडक पर श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा

(5)

				नोट प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि का शेप इस प्रकार है कि उसका उपयोग ग्रुप हाउसिंग में ज्यादा नहीं हो सकता। साथ ही प्रस्तावित भूमि के 400–500 मीटर दूरी पर ही 1300–1500 व्यक्तियों की आबादी बसी हुई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त पुनः इसका मौका देखें तथा 2500 वर्गमीटर भूमि निदेशक (आयोजना) से रि–प्लानिंग कराने के पश्चात् पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत करें।
12.	9	133:12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर–द्वितीय को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नं. 48 हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर–द्वितीय को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नं. 48 हेतु बाबा रामदेव गृ.नि.स.स. की योजना केसर विहार ग्राम टोडीरमजानीपुरा तहसील सांगानेर के वार्ड नं. 48 के सुविधा क्षेत्र भूखण्ड संख्या एफ–1 क्षेत्रफल 688.88 वर्गगज (575.98 वर्गमीटर) भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नं. 48 हेतु केसर विहार योजना के सुविधा क्षेत्र भूखण्ड संख्या एफ–1 क्षेत्रफल 575. 98 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	9	133:13	श्री जगदीश पुत्र श्री पांचू को जविप्रा की निलय कुंज में अवाप्त भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि की एवज में आवासीय भूखण्ड 132 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या 98 क्षेत्रफल 247.50 व.मी. का आवंटन बाबत।	श्री जगदीश पुत्र श्री पांचू को जविप्रा की निलय कुंज में अवाप्त भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि की एवज में आवासीय भूखण्ड 132 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड पहले से ही किसी अन्य को आवंटित होने के कारण प्रार्थी को नहीं दिया जा सका। उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के बदले भूखण्ड संख्या 98 क्षेत्रफल 247.50 व.मी., भूखण्ड संख्या 157 क्षेत्रफल 264 व.मी. व 162 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड देने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त तीनों भूखण्ड कॉर्नर है। उक्त योजना में समान माप व समान रोड चौडाई का अन्य भूखण्ड रिक्त नहीं होने से तीन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रश्नगत प्रकरण में नॉन कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से समान रोड चौडाई पर उपलब्ध समान माप के कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत प्रकरण में लॉटरी हेतु निदेशक (वित्त), अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) व उपायुक्त जोन–9 की कमेटी गठित की जावे! प्रकरण में आवंटी से नियमानुसार 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावे।
14.	9	133:14	विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर को ग्राम पंचायत विधाणी के ग्राम पंचायत भवन, पटवार भवन, खाद्य गोदाम हेतु ग्राम विधाणी के खसरा नं. 119 कुल रकबा 4.01 हैक्टेयर चरागाह में से 3000 वर्गमीटर भूमि आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर को ग्राम पंचायत विधाणी के ग्राम पंचायत भवन, पटवार भवन, खादय गोदाम हेतु ग्राम विधाणी के खसरा नं. 119 कुल रकबा 4.01 हैक्टेयर चरागाह में से 3000 वर्गमीटर भूमि आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित भूमि की किस्म चरागाह होने से ग्राम पंचायत विधाणी को ग्राम विधाणी के खसरा न. 119 में से 3000 वर्गमीटर भूमि पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, पटवार भवन, खाद्य गोदाम हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(6)

15.	10	133:15	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जामडोली एव निकटवर्ती क्षेत्र मे बीसलपुर पाईपलाईन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम बगराना के खसरा नम्बर 276 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई. एस.आर. हेतु आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि खसरा न. 276 का मौका देखकर व आस–पास के रिक्त खसरा नम्बरों की एक साथ प्लानिंग कर पुनः उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण स्थगित किया गया।
16.	12	133:16	अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को ग्राम नींदड तहसील आमेर के खसरा नं. 3059 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ रकबा 1.64 हैक्टेयर भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को छिलावाली डूंगर में पेयजल आपूर्ति हेतु ग्राम नींदड तहसील आमेर के खसरा नं. 3059 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ रकबा 1.64 हैक्टेयर भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम नींदड के खसरा नं. 3059 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17.	12	133:17	अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को ग्राम नींदड तहसील आमेर के खसरा नं. 2131 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ रकबा 20.39 हैक्टेयर भूमि में से 3000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. व सी.डब्ल्यू.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित भूमि की प्लानिंग निदेशक (आयोजना) से कराई जाने के पश्चात् प्रस्तावित करने हेतु प्रकरण को स्थगित किया गया।
18.	PRN (S)	133:18	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को योजना राधा मुकुट नगर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु योजना के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 873.88 वर्गगज आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को योजना राधा मुकुट नगर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु योजना के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 873.88 वर्गगज आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को राधा मुकुट नगर में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 873.88 वर्गगज भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
19.	PRN (S)	133:19	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को योजना अशोक वाटिका में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को योजना अशोक वाटिका में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु योजना के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 1351.77 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर निःशुल्क आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि / 3 / 2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को अशोक वाटिका में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 1351.77 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि (निदेशक आयोजना से प्लानिंग करवाकर) पेयजल योजना हेतु

				निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20.	PRN (S)	133:20	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन-2, गांधी नगर, जयपुर को योजना तिवाडी कॉलोनी में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन-2, गांधी नगर, जयपुर को योजना तिवाडी कॉलोनी मे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु योजना के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 2638.48 वर्गमीटर में से 1500 वर्गमीटर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को तिवाडी कॉलोनी में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 2638.48 वर्गमीटर में से 1500 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे।
21.	PRN (S)	133:21	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन-2, गांधी नगर, जयपुर को योजना सुन्दर नगर-प्रथम में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु योजना के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 1902.79 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन-2, गांधी नगर, जयपुर को योजना सुन्दर नगर-प्रथम में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु योजना के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 1902.79 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को सुन्दर नगर-प्रथम में सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 1902.79 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
22.	AC (LPC)	133:22	जन कल्याण संस्थान को सामाजिक सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के खारिज प्रकरण को पुनः प्रारम्भ करने के संबंध में।	जन कल्याण संस्थान द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहा गया है। उक्त आवेदन पत्र को नविवि की आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 4.2 के प्रावधानान्तर्गत वेबसाईट पर अपलोड किया गया था। जिसके क्रम में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 1115149591471 दिनाक 02.11.15 को जन कल्याण संस्थान द्वारा नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत चाही गई भूमि के संदर्भ में श्री ज्ञानेश राजदाता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है। उक्त आपत्ति पर आवेदक से दिनांक 16.12.16 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिस पर प्री-एलपीसी की बैठक दिनांक 06.01.17 में प्रकरण का परीक्षण कर संस्था की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं पाये जाने पर प्रकरण खारिज कर संस्था को दिनांक 18.01.17 को सूचित कर दिया गया। संस्था द्वारा दिनांक 07.03.17 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन की राशि का 95 प्रतिशत छूट राज्य सरकार स्तर से प्राप्त करने का प्रयास करने व निर्माण हेतु राशि की व्यवस्था दानदाताओं व संस्थान के पदाधिकारियों के सहयोग से करने हेतु लिखा है। संशोधित Means of Finance में सदस्यों से 480.00 लाख तथा दानदाताओं से 510.00 लाख जुटाने का अंकन किया है। संस्था ने प्रकरण पुनः प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा प्रकरण को पुनः प्रारम्भ करने के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को पुनः प्रारम्भ कर भूमि चिन्हिकरण की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

23.	11	133:22(1)	सरपंच ग्राम पंचायत मुहाना पंचायत समिति सांगानेर एवं मंदिर बचाओं संघर्ष समिति, जयपुर को राजस्व ग्राम मुहाना में रिंग रोड में श्मशान हेतु भूमि सेट अपार्ट करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मुहाना पंचायत समिति सांगानेर एवं मंदिर बचाओं संघर्ष समिति, जयपुर को गुर्जरों की ढाणी मुहाना से हटाये गये श्मशान के बदले रिंग रोड परियोजना में स्थित भूखण्ड संख्या 11/आईडी/94ए क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर में से जीवित समावि का क्षेत्र छोडते हुये 980 व.मी. व तथा भूखण्ड संख्या 11/आईडी/94 क्षेत्रफल 1250 कुल 2230 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु सेट अपार्ट करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। **नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है।** अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार 2230 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
24.	11	133:22(2)	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निजी खातेदारी की आवासीय योजना शिव विहार–ए के आरक्षित सुविधा क्षेत्र भूमि सुविधा क्षेत्र 556.17 वर्गगज आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निजी खातेदारी की आवासीय योजना शिव विहार–ए ग्राम मदाउं के आरक्षित सुविधा क्षेत्र (क्लिनिक) भूमि सुविधा क्षेत्र 556.17 वर्गगज पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को शिव विहार–ए के सुविधा क्षेत्र की भूमि क्षेत्रफल 556.17 वर्गगज भूमि (End Use परिर्वतन की प्रत्याशा में) पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
25.	11	133:22(3)	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम श्री रामपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 16 रकबा 0.35 हैक्टेयर में से 900 वर्गगज आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम श्री रामपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 16 किस्म गै.मु. श्मशान रकबा 0.35 हैक्टेयर में से 900 वर्गगज पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रकरण में वार्ड पार्षद द्वारा श्मशान में भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम श्री रामपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 16 में से 900 वर्गगज भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
26.	11	133:22(4)	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1040 रकबा 11.87 हैक्टेयर में से 950 वर्गमीटर आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड–। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1040 रकबा 11.87 हैक्टेयर में से 950 वर्गमीटर पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1040 में से 950 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु निःशुल्क सिद्धान्तः आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.बी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प्रकरण में आवंटन से पूर्व निदेशक (आयोजना) से चर्चा कर सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग की जावे।
27.	11	133:22(5)	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड-। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम महासिंहपुरा उर्फ केश्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 131 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं ख.नं. 132 रकबा 0.05 हैक्ट. में से कुल 1340 वर्गमीटर आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड-। (दक्षिण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम महासिंहपुरा उर्फ केश्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 131 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं ख.नं. 132 रकबा 0.05 हैक्ट. में से कुल 1340 वर्गमीटर पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम महासिंहपुरा उर्फ केश्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 131 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं ख.नं. 132 रकबा 0.05 हैक्ट. में से कुल 1340 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे।
28.	12	133:22(6)	कार्यालय ग्राम पंचायत सरना चौड, पंचायत समिति झोटवाडा को ग्राम गजाधरपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 149/2 किस्म चरागाह रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षण करने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत सरना चौड, पंचायत समिति झोटवाडा को ग्राम गजाधरपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 149/2 किस्म चरागाह रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख-रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम गजाधरपुरा के खसरा नं. 149/2 किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख-रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
29.	12	133:22(7)	कार्यालय ग्राम पंचायत राजावास, पंचायत समिति जालसू को ग्राम राजावास तहसील आमेर के खसरा नं. 618 किस्म चरागाह रकबा 3.95 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत को तथा 2500 वर्गमीटर भूमि अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत राजावास, पंचायत समिति जालसू को ग्राम राजावास तहसील आमेर के खसरा नं. 618 किस्म चरागाह रकबा 3.95 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत को तथा 2500 वर्गमीटर भूमि अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र हेतु ग्राम राजावास के खसरा नं. 618 किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर व अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
30.	12	133:22(8)	अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड-द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 87/210 किस्म श्मशान, रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड-द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 87/210 किस्म श्मशान, रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नाविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम बोयतावाला के खसरा नं. 87/210 में से 1000 वर्गमीटर भूमि (ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त पर) ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

(10)

31	13	133:22(9)	अतिरिक्त मुख्य अभियता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग–द्वितीय, जयपुर को राजस्व ग्राम बढारना तहसील आमेर के खसरा नं. 62 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में से 6000 वर्गमीटर भूमि ईएसआर / सीडब्ल्यूआर एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त मुख्य अभियता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग–द्वितीय, जयपुर को राजस्व ग्राम बढारना तहसील आमेर के खसरा नं. 62 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बंजड में से 6000 वर्गमीटर भूमि ईएसआर / सीडब्ल्यूआर एवं पम्प हाउस के निर्माण हेतु आवंटन चाहा है। उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार राजस्व ग्राम बढारना तहसील आमेर के खसरा नं. 62 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में से अतिक्रमित व प्रस्तावित सेक्टर रोड व वन विभाग की बाउण्ड्रीवाल से प्रभावित क्षेत्र के अतिरिक्त 6272 व.मी. भूमि उपलब्ध है। जिसमें से लगभग 3728 व.मी. भूमि Other Recretional भू–उपयोग में दर्शित है तथा 2545 वर्गमीटर जी–1 भू–उपयोग में दर्शित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम बढारना तहसील आमेर के खसरा नं. 62 में से 2545 वर्गमीटर (जी–1 भू–उपयोग की) भूमि वर्तमान कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे।
32.	14	133:22 (10)	सरपंच ग्राम पंचायत आशावाला पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम पंचायत भवन, पटवार भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि कार्यालय, आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत आशावाला पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम यशोदानन्दपुरा उर्फ आशावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 374 किस्म चरागाह रकबा 1.59 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन, पटवार भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि कार्यालय, आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूमि की किस्म चरागाह होने के कारण ग्राम यशोदानन्दपुरा उर्फ आशावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 374 में से 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन, पटवार भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि कार्यालय, आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
33.	14	133:22 (11)	सरपंच, ग्राम पंचायत वाटिका, पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1717 की भूमि में से श्मशान हेतु सेटअपार्ट / आरक्षित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत वाटिका, पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1717 की भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट / आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व जविप्रा का है तथा सैक्टर रोड से प्रभावित नहीं है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्रान वाटिका के खसरा नं. 1717 में से 1000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
34.	14	133:22 (12)	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) जयपुर–द्वितीय, को उप स्वास्थ्य केन्द्र काठावाला हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) जयपुर–द्वितीय, को उप स्वास्थ्य केन्द्र काठावाला हेतु ग्राम काठावाला तहसील चाकसू के खसरा नं. 300 रकबा 3.70 हैक्टेयर चरागाह में से 60 X 65 = 3900 वर्गफीट आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूमि की किस्म चरागाह होने के कारण ग्राम काठावाला के खसरा नं. 300 में से 500 वर्गमीटर उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11

				आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
35.	9	133:22 (13)	ग्राम पंचायत विधाणी पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता के खसरा नं. 327 में श्मशान हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा ग्राम पंचायत विधाणी पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता के खसरा नं. 327 रकबा 4.67 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार वर्तमान में श्मशान ग्राम विमलपुरा के खसरा नं. 94 को द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यीकरण में प्रभावित होने के कारण नष्ट हो गया है। उक्त ग्राम में अन्य कोई रिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता के खसरा नं. 327 किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
36.	5	133:22 (14)	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर को महाप्रज्ञा स्कूल के पास, पार्श्वनाथ कॉलोनी, निर्माण नगर, जनपथ में स्वीकृत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा एजेंडा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर को महाप्रज्ञा स्कूल के पास, पार्श्वनाथ कॉलोनी, निर्माण नगर, जनपथ पर 558.12 वर्गगज भूमि (End Use परिर्वतन की प्रत्याशा में) स्वीकृत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आयुक्त महोदय की अनुमति से आवंटन की जा चुकी है। उपायुक्त द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
37.	9	133:22 (15)	श्री माहेश्वरी समाज को जनोपयोगी भवन, कम्यूनिटी सेन्टर के लिये रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 4017.79 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री माहेश्वरी समाज को जनोपयोगी भवन, कम्यूनिटी सेन्टर के लिये रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 4017.79 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त संस्था को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विद्याधर नगर में भूमि आवंटन की गई है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के अनुसार पूर्व में भूमि आवंटन होने पर पूर्व आवंटित भूमि पर निर्माण कर उद्देश्य पूर्ण करने के पश्चात् ही पुनः आवंटन किया जावेगा, का उल्लेख है। पत्रावली के पैरा 67–68/एन एवं एजेण्डा नोट के कॉलम नं. 13 व 17 के अनुसार पूर्व में विद्याधर नगर में आवंटित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा कर लिया गया है। बैठक में अवगत करवाया गया कि संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि पर नियम विरुद्ध सैटबैक में निर्माण करवाये जाने बाबत एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी थी। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संस्था के द्वारा सैटबैक में करवाये गये निर्माण को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। परन्तु संस्था द्वारा उक्त आदेशों की पालना नहीं की गयी। उपायुक्त जोन–9 उपरोक्त प्रकरण में अध्ययनरत स्थिति के बारे में विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात् आगामी भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक में सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगे।

अति. आयुक्त (भू.नि.से.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(12)

38.	12	133:22 (16)	ग्राम पंचायत बोयतावाला, पं.स. झोटवाड़ा, जयपुर को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 23 किस्म चरागाह रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा में से 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन हेतु तथा 5000 वर्गमीटर भूमि अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा ग्राम पंचायत बोयतावाला, प.स. झोटवाड़ा, जयपुर को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 23 किस्म चरागाह रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा में से 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन हेतु तथा 5000 वर्गमीटर भूमि अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूमि की किस्म चरागाह होने के कारण ग्राम पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र हेतु ग्राम बोयतावाला के खसरा नं. 23 किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर व अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
39.	14	133:22 (17)	मंदिर बचाओ संघर्ष समिति एवं ग्रामवासी ग्राम श्रीरामपुरा को ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर में मंदिर मसानियां भैरू, शिवजी के मंदिर हेतु रिंग रोड परियोजना में वर्तमान अवस्थिति अनुसार एनओसी जारी करने एवं श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन-14 द्वारा मंदिर बचाओ संघर्ष समिति एवं ग्रामवासी ग्राम श्रीरामपुरा को ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर में रिंग रोड परियोजना में 200 वर्गमीटर मंदिर मसानियां भैरू, शिवजी के मंदिर हेतु रिंग रोड परियोजना में वर्तमान अवस्थिति अनुसार एनओसी जारी करने एवं 2300 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार पूर्व में भूखण्ड संख्या 14/ओजे/11 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर श्मशान हेतु आरक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार पूर्व में आरक्षित क्षेत्रफल को प्रस्ताव में से कम करते हुये 1050 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु पुनः आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख-रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
40.	14	133:22 (18)	मंदिर बचाओ संघर्ष समिति एवं ग्रामवासी ग्राम दादिया तहसील सांगानेर में झुझार बाबा की छतरियों के लिए 50 व.मी. पर एनओसी जारी करने एवं श्मशान हेतु 2450 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन-14 द्वारा मंदिर बचाओ संघर्ष समिति एवं ग्रामवासी ग्राम दादिया तहसील सांगानेर में रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 14/ओए/150 से 151 कुल 2500 वर्गमीटर में से झुझार बाबा की छतरियों के लिए 50 व.मी. पर एनओसी जारी करने एवं श्मशान हेतु 2450 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 14/ओए/150 से 151 कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर में से 2450 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख-रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।

उपायुक्त जोन-14 द्वारा रिंग रोड में आने वाले मन्दिरों को भूमि आवंटन करने के 6 प्रकरण प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों को एलपीसी बैठक में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त के स्तर पर सक्षम स्वीकृति के पश्चात् एनओसी जारी की जा सकती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त, (एल.पी.सी.)
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर

(15)

2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर / दक्षिण), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव

एवं

नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 133वीं बैठक दिनांक 12.04.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	**श्री वैभव गालरिया, आयुक्त**	**अध्यक्ष**
2.	**श्री पुरूषोत्तम बियाणी, सचिव**	**सदस्य**
3.	**श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)**	**सदस्य**
4.	**श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना)**	**सदस्य**
5.	**श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)**	**सदस्य**
6.	**श्री गिरिराज कुमार वर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)**	**सदस्य सचिव**
7.	श्री राधे प्रताप सिंह, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
8.	श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
9.	श्री सत्यप्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
11.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
13.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
14.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
16.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त जोन–पृथ्वीराज नगर (दक्षिण)	विशेष आमंत्रित
17.	श्री सतीश कुमार जैन, अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी	विशेष आमंत्रित
18.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित